



उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

द्वारा संचालित अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना
के अन्तर्गत वित्त पोषण (रु. 1.00 लाख तक के ऋण हेतु) आवेदन पत्र
(आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में भरा जायेगा)

योजना का नाम :-

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई पता – ग्राम/मो. पो.
तहसील विकासखण्ड जनपद
4. जाति उपजाति
(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. मासिक/वार्षिक आय (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (राशनकार्ड, मतदाता सूची, बिजली का बिल आदि संलग्न करें)
7. जन्मतिथि (ग्राम पंचायत/नगर पालिका या विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो)
8. शैक्षणिक तथा तकनीकी पृष्ठभूमि/कार्यानुभव यदि कोई हो
9. प्रस्तावित योजना का नाम लागत स्थान/कार्यस्थल
(परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें)
10. वर्तमान गतिविधियां
वित्तीय स्थिति (सम्पत्ति का विवरण) जमीन मकान अनुमानित मूल्य रु.
11. जमानतदारों के नाम व पता (सम्पत्ति का विवरण संलग्न करें, यदि किसी विभाग/संस्था में सेवारत हों तो विभाग का नाम पद व पता स्पष्ट लिखें)
अ. ब.
.....
.....
12. क्या पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता (ऋण/अनुदान) प्राप्त किया था ? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो विवरण दें :-
विवरण विभाग का नाम
प्राप्त सहायता वसूली की स्थिति
13. पूर्व में प्राप्त ऋण के अंश की वसूली की अद्यावधिक स्थिति अथवा इसी उद्देश्य हेतु विकास खण्ड/जनपद/राज्य के किसी वित्तीय संस्थान/विभाग/अन्य श्रोत से ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं किया है न ही बकायेदार हूँ। (रु. 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय)

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
छायाचित्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य पूर्णतः सही एवं वास्तविकता पर आधारित हैं तथा जो प्रमाण पत्र संलग्न किये जा रहे हैं वह सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त हैं। यदि कोई तथ्य सत्यता से परे पाया जाता है या छुपाया जाता है तो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

नोट :- प्रार्थनापत्र के समस्त कालम स्वच्छ भाषा में भरें होने चाहिए, अपूर्ण प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

श्री/श्रीमती/कु.

पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी का उक्त
 प्रार्थना पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये तथ्यों की जांच कर ली गई है एवं संलग्न
 प्रपत्रों की प्रमाणिकता की पुष्टि कर ली गई है, जो सही पायी गई है। निगम के अभिलेखों की पुष्टि के उपरांत
 यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा इससे पूर्व कोई ऋण/अनुदान किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं
 लिया गया है। लाभार्थी पात्रता के अन्तर्गत है। अतः प्रस्तुत योजना
 जो आर्थिक दृष्टि से परिपुष्ट है, की लागत रु. मानते हुए अल्पसंख्यक स्वरोजगार ऋण (टर्मलोन)
 रु. अनुदान रु. एवं लाभार्थी अंश के रूप में रु. की स्वीकृति
 की संस्तुति की जाती है।

निगम कर्मी/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी
 (पदनाम मुहर सहित)

सहायक प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक
 (पदनाम मुहर सहित)

(जिला समन्वय समिति का चयन का विवरण)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लाभार्थी का चयन समिति की बैठक दिनांक में
 किया गया है। जिसका कार्यवृत्त कार्यालय में सुरक्षित है। इस प्रकरण में टर्मलोन रु. अनुदान
 रु. एवं लाभार्थी अंश रु. स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।

सहायक प्रबन्धक / जिला प्रबन्धक